नीचे वर्णित किए गए माइक्रो ऋण के अत्यंत महत्वपूर्ण नियम और शर्तों (एमआईटीसी) पर उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) द्वारा सहमति दी गई है, और यहाँ ऊपर दिए गए शर्तों के साथ संयोजन के रूप में पढ़ना और समझना होगा, जैसा कि संयुक्त देयता समूह घोषणा एवं ऋण से संबंधित अन्य दस्तावेज़ों में उल्लिखित है।

1. उधारकर्ताओं को केवल आय सृजन के उद्देश्य से ऋण का उपयोग करना चाहिए। अगर ऋण का कोई दुरुपयोग होता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऋण राशि प्रदान/हस्तांतरित की जाती है, तो उधारकर्ता/गारंटर द्वारा ऋण को नकारा नहीं जा सकता और यह उधारकर्ता/सभी गारंटरों का पूर्ण दायित्व होगा कि वे शेड्यूल के अनुसार ऋण की चुकौती करें।
2. इस लोन को "क्वालीफाइंग एसेट" के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। लोन लेने वाला व्यक्ति, सेंट्रम माइक्रोक्रेडिट लिमिटेड के साथ एक से ज़्यादा एसएचजी/जेएलजी का सदस्य नहीं हो सकता है
3. शुल्क एवं अन्य प्रभार: ऋण के मूल्य निर्धारण (प्राइसिंग) में केवल तीन घटक अर्थात ब्याज प्रभार, प्रोसेसिंग प्रभार और बीमा प्रीमियम (जिनमें उससे संबंधित प्रशासनिक प्रभार सहित) शामिल हैं। हमारे द्वारा या तृतीय पक्षों के माध्यम से ग्राहक से कोई सुरक्षा जमा/ मार्जिन/अन्य प्रभार एकत्र नहीं किए गए हैं।

- प्री-क्लोज़र प्रभार: वर्तमान में कोई भी पूर्व-भुगतान/प्री-क्लोज़र जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यह आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है। जुर्माना ब्याज: शून्य, ** बीमा प्रीमियम: ग्राहक के अनुरोध के अनुसार, अन्य शुल्क/प्रभार: जैसा कि समय-समय पर संचारित किया जा सकता है।
- प्रोसेसिंग शुल्क नॉन-रिफंडेबल है।
- बीमा प्रीमियम नॉन-रिफंडेबल है, एकमुश्तप्रीमियम राशि है। उधारकर्ता अवगत है(हैं) कि बीमा कवर वैकल्पिक है। उधारकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे बीमा लेने की स्थिति में बीमा पॉलिसी के दस्तावेज़ को पढ़ लें।

4. सेंट्रममाइक्रोक्रेडिट लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा एक किस्त की अवधि के बराबर ऋण चुकौती पर रोक लगाया जाएगा।
5. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ब्याज दरों और अन्य प्रभारों में हुए परिवर्तन केवल बाद की तारीख से लागू हों।
6. चुकौती: यहाँ उल्लेख किए रूप में ऋण किस्त शेड्यूल के अनुसार ऋण की चुकौती की जानी है। कंपनी के प्रति उधारकर्ता(ओं) की देयता केवल तभी समाप्त मानी जाएगी जब शेष राशि के भुगतान सहित, यदि कोई है, उधारकर्ता(ओं) के ऋण खाते में बकाया शून्य हो जाता है।
7. नवीनीकरण/बढ़ोतरी/पुनर्निर्धारण: कंपनी अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक में उधारकर्ता(ओं) को प्रदत्त ऋण की सीमा का पुनर्निर्धारण/नवीनीकरण/बढ़ोतरी कर सकती है।
8. तृतीय पक्षों की नियुक्ति: कंपनी स्वयं के द्वारा या अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से इस तरह की गतिविधियाँ संचालित करने के अपने अधिकारों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना, एक या उससे अधिक तृतीय पक्षों को नियुक्त करने की हकदार होगी और पूर्ण शक्ति एवं प्राधिकार रखती है, जैसा कि कंपनी की ओर से उधारकर्ता(ओं) से एकत्र और प्राप्त करने के अधिकार और प्राधिकार सहित ऋण के प्रशासन से संबंधित किसी या सभी क्रियाकलापों, अधिकारों, शक्तियों के लिए कंपनी ऐसे तृतीय पक्ष को चुन सकती है या अन्यथा निर्दिष्ट कर सकती है या उन्हें सौंप सकती है।
9. लोन रिकॉल: अगर यहाँ उल्लिखित किए गए के साथ ही समय-समय पर माइक्रो ऋण आवेदन फ़ॉर्म और समूह घोषणा या अन्य दस्तावेज़ों में वर्णित नियमों और शर्तों का कोई भी गैर-अनुपालन/उल्लंघन होता है या अगर किसी भी जानकारी/ब्यौरे से उधारकर्ता(ओं) की चुकौती क्षमता वास्तव में प्रभावित होती है, तो कंपनी के पास उधारकर्ता(ओं) को कोई सूचना दिए बिना उनके द्वारा लिए गए ऋण को बंद करने और किसी भी वितरण को रोकने/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
10. बकाया राशि की वसूली के लिए पालन की जाने वाली संक्षिप्त प्रक्रिया: बकाया की घटना में अर्थात अगर देय राशि का भुगतान नियत तिथि पर नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता(ओं) को उसके ऋण खाते में किसी भी बकाया राशि के भुगतान के लिए समय-समय पर डाक, फ़ैक्स टेलीफ़ोन, ई-मेल, एसएमएस संदेश द्वारा बकाया राशि की याद दिलाने, और/या निरंतरता (फॉलो-अप)करने और उसे एकत्र करने के उद्देश्यों के लिए नियुक्त तृतीय पक्षों के माध्यम से अनुस्मारक भेजे जाएंगे। ऐसे नियुक्त किसी भी तृतीय पक्ष को आरबीआई के दिशानिर्देशों एवं ऋण संग्रह पर आचार संहिता का पालन करना होगा।
11. निर्धारण (असाइनमेंट): उधारकर्ता यह स्पष्ट रूप से मानता(ते) और स्वीकार करता(ते) है(हैं) कि कंपनी के पास (उधारकर्ता(ओं) के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए इसके अंतर्गत निहित अपनी शक्ति को धारण करने के कंपनी के अधिकार को सुरक्षित रखने सहित) किसी भी ढंग से और कंपनी द्वारा तय किए गए ऐसे तरीकों और ऐसे शर्तों पर उधारकर्ता की ओर से, पूर्णतः या अंशतः, बिक्री करने, असाइन करने, प्रतिभूत करने या हस्तांतरित करने का पूर्ण हक होगा और वह ऐसा करने की पूर्ण शक्ति और प्राधिकार रखती है।
12. उधारकर्ता(ओं) को पहले से ही सचेत किया जाता है कि एकाधिक स्रोतों से या आवश्यकता से अधिक ऋण लेने से वे वित्तीय तनाव में आ सकते हैं। उधारकर्ता(ओं) को दो से अधिक एमएफ़आई/वित्तीय संस्थानों से ऋण नहीं लेना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों की कुल ऋण देयता रु. 1,25,,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. ऋण का अनुदान कंपनी या तृतीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य उत्पाद/सेवा से नहीं जुड़ा है।
14. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उधारकर्ता से संबंधित जानकारी (डेटा) की गोपनीयता का सम्मान हो।
15. शासी कानून और क्षेत्राधिकार: यह एमआईटीसी भारत के कानून और उधारकर्ता(ओं) द्वारा लिए जाने वाले माइक्रो ऋण के किसी भी अन्य संबंधित प्रलेखों द्वारा शासित होगा, और मुंबई में स्थित न्यायालयों के पास इस एमआईटीसी और अन्य संबंधित प्रलेखों की व्याख्या एवं प्रवर्तन को शासित करने वाले सभी पहलुओं पर अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।
16. मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन): अगर इन प्रस्तुतियों के चलते या उधारकर्ता(ओं) द्वारा लिए गए माइक्रो ऋण से जुड़े या संबंधित अथवा इसके गठन, अर्थ या प्रभाव को लेकर, या उधारकर्ता(ओं) के अधिकार, दायित्व और देनदारियों को लेकर कोई विवाद, मतभेद और/या दावे या प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तो कंपनी इसे मध्यस्थता को संदर्भित करेगी और कंपनी द्वारा नामित किए जाने वाले एकल मध्यस्थ के द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों या इसके किसी भी सांविधिक संशोधनों के अनुसार आयोजित होने वाली मध्यस्थता द्वारा इनका निपटान किया जाएगा, और मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या वह अनिच्छा, अस्वीकार, उपेक्षा, असमर्थता या अक्षमता दर्शाता है, तो कंपनी द्वारा एकल मध्यस्थ के रूप में किसी नए मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सकती है। मध्यस्थ को अपने निर्णय का कोई भी कारण देने की आवश्यकता नहीं होगी, और मध्यस्थ का निर्णय सभी संबंधित पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही मुंबई में होगी।
17. कंपनी द्वारा स्वविवेक में ऋण से संबंधित नियमों और शर्तों को समय-समय पर संशोधित एवं संपादित किया जा सकता है।
18. सीएमएल पारदर्शिता और उचित/ निष्पक्ष रीती से ऋण देने का व्यवसाय करने के प्रति कटिबद्ध हैं. कंपनी हमेशा इस बात का ध्यान रखेगी कि शिकायतों का निवारण समय पर हों. कर्जदारों के साथ व्यवहार करनेवाले कंपनी के कर्मचारियों को बेईमानी से व्यवहार करने, अनुचित भाषा का प्रयोग करने अथवा किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग करने की सख्त मनाई हैं
19. एमआईटीसी/ उपरोक्त नियमों और शर्तों को उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) द्वारा पढ़ा गया है/ कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को पढ़ कर सुनाया गया है, और इन्हें उधारकर्ता(ओं) और गारंटर द्वारा समझ लिया गया है। कृपया इसकी पावती प्रदान करें और ऋण से संबंधित उपरोक्त नियमों और शर्तों की स्वीकृति के रूप में उधारकर्ताओं और गारंटर(रों) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस दस्तावेज़ की मूल प्रति वापस लौटाएँ, और अपने भावी संदर्भ के लिए इसकी एक डुप्लिकेट प्रति अपने पास बनाए रखें।

उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

1 _____

दिनांक: ____/___/_____

स्थान: _____